इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 376] भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 सितम्बर 2016—भाद्र 21, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 14812-245-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ३ सन् २०१६

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०१६

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
२. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ का १९७३ का स्थायी रूप से संशोधित किया जाना.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा २० का संशोधन.
५. धारा ५० का संशोधन.
६. धारा ५६ का संशोधन.
७. विधिमान्यकरण.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ३ सन् २०१६.

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०१६

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 12 सितम्बर 2016 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ को और संशोधन करने तथा भूतलक्षी प्रभाव से इसका विधिमान्यकरण करने हेतु अध्यादेश.

यत, राज्य के विधान-मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०१६ है.

(२) यह २६ अप्रैल १९७३ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९७३ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ से ६ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में ,—

(एक) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(छ) ''विकास योजना'' से अभिप्रेत है, धारा १८ तथा १९ के अधीन तैयार तथा क्रियान्वयन में लाई गई योजना;'';

(दो) खण्ड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(ण-१) ''भूखण्ड'' से अभिप्रेत है, एक निश्चित आकृति तथा आकार का भूमि का कोई टुकड़ा तथा संचालक द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित हो;''.

धारा २० का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा २० इसकी उपधारा (१) के रूप में क्रमांकित की जाए तथा इस प्रकार क्रमांकित की गई उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(२) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां कोई परिक्षेत्रिक योजना उपधारा (१) के अधीन तैयार नहीं की जाती है वहां पूर्व अधिसूचित और क्रियान्वित या क्रियान्वित की जा रही या अधिसूचित और क्रियान्वित की जाने वाली नगर विकास योजनाओं के लिये अध्याय-सात के अधीन उपबंधित शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और पालन नगर विकास योजना के अनुसार किया जा सकेगा.''.

५. मूल अधिनियम की धारा ५० में,— **धारा ५० का संशोधन.**

(एक) उपधारा (४) में, शब्द "तथा उपधारा (५) के अधीन गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार करने का पश्चात्" का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (५) और (६) को विलोपित किया जाए.

६. मूल अधिनियम की धारा ५६ में विद्यमान परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्द्धविराम स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :— **धारा ५६ का संशोधन.**

"परंतु यह और भी कि भूमि के अनिवार्य अर्जन के लिये किसी भी समय पर की गई कोई कार्यवाही या इस धारा के उपबंधों के अनुसार किसी भू-अर्जन कार्यवाही में पारित किसी पंचाट को इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही या पारित किया गया पंचाट समझा जाएगा.".

७. किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस संशोधन अध्यादेश के द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई समस्त बातों, कार्यवाहियों और कार्रवाइयों तथा पारित किए गए आदेशों के बारे में यही और सदैव यही समझा जाएगा कि वे विधिमान्यत: की गई हैं या विधिमान्यत: पारित किए गए हैं मानो कि उक्त सक्षम प्राधिकारी ऐसी बातों, कार्यवाहियों और कईवाइयों के किए जाने तथा ऐसे आदेशों के पारित किए जाने के सुसंगत संशोधित उपबंधों के अधीन विधिमान्यत: सशक्त किए गए थे और किसी भी ऐसी बात, कार्यवाही, कार्रवाई या आदेश की विधिमान्यता को किसी भी न्यायालय में या किसी भी अन्य प्राधिकारी के समक्ष केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि मूल अधिनियम में इस निमित समर्थकारी उपबंधों के बिना समस्त बातें, कार्यवाहियां और कार्रवाइयाँ की गई थी और आदेश पारित किए गए थे. **विधिमान्यकरण.**

राम नरेश यादव
राज्यपाल
मध्यप्रदेश.

भोपाल
तारीख ६ सितम्बर सन् २०१६

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 14812-245-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2016 (क्रमांक 3 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 3 OF 2016

THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH (SANSHODHAN TATHA VIDHIMANYAKARAN) ADHYADESH, 2016

TABLE OF CONTENTS

Sections :—

1. Short title and commencement.
2. Madha Pradesh Act No. 23 of 1973 to be temporarily amended.
3. Amendment of Section 2.
4. Amendment of Section 20.
5. Amendment of Secttion 50.
6. Amendment of Section 56.
7. Validation.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 3 OF 2016

THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH (SANSHODHAN TATHA VIDHIMANYAKARAN) ADHYADESH, 2016

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)," dated the 12 September 2016.]

Promulgated by the Governor in the sixty-seventh year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 and its validation with retrospective effect.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title and commencement.

1 (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan Tatha Vidhimanyakaran) Adhyadesh, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force from 26th April, 1973.

Madhya Pradesh Act No. 23 of 1973 to be Temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3 to 6.

Amendment of Section 2.

3. In Section 2 of the principal Act,—

(i) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely :—

"(g) "development plan" means a plan prepared and brought into operation under Section 18 and 19;";

(ii) aftar clause (o), the following clause shall be inserted, namly:—

" (o -1)" "plot" means any piece of land having a definite shape and size, and duly approved by the Director;".

Amendment of Section 20.

4. Section 20 of the principal Act shall be numbered as sub - section (1) thereof and after sub-section (1) as so numbered the following new sub-section shall be inserted, namely :—

"(2) Notwithstanding anything contained in this Act, where a zonal plan is not prepared under sub-section (1), the powers and functions provided under chapter VII may be exercised and performed for the town development schemes already notified and implemented or being implemented, or to be notified and implemented in accordance with the development plan.".

Amendment of Section 50.

5. In Section 50 of the principal Act,—

(i) in sub-section (4), the words "and after considering the report of the committee constituted under sub-section (5)" shall be omitted;

(ii) sub-sections (5) and (6) shall be deleted.

6. In Section 56 of the principal Act, in the existing proviso, for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :— **Amendment of Section 56.**

"Provided further that any proceedings undertaken at any point of time for compulsory acquisition of land or any award passed in any land acquisition proceeding undertaken as per the provisions of this section, it shall be deemed to be proceedings undertaken under this Act or award passed under this Act.".

7. Notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of a court, all things done, proceedings and actions taken and orders passed by the competent authourity under the relevent provisions of the principal Act as amended by this Amendment Ordinance shall be and shall be deemed always to have been validly done, taken or passed as if the said competent authority were validly empowered under the relevant amended provisions before such things were done, proceedings and actions were taken and orders were passed and the validity of such thing, proceeding, actions or order shall not be called into question in any court of law or before any authority whatsoever merely on the ground that such things were done, proceedings and actions were taken and orders were passed without the enabling provisions in this behalf in the principal Act. **Validation.**

BHOPAL:
DATED THE 6th September 2016

RAM NARESH YADAV
Governor
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.